न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : स्वदीप सिंह,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 4111–एक/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 1–11–2012 पारित द्वारा कलेक्टर, बैतूल प्रकरण कमांक 1/अ–6/12–13

1 टीकाराम वल्द श्री शंकर राकसे उम्र 60 वर्ष
2 गुलाब वल्द श्री शंकर राकसे उम्र 45 वर्ष
3 हेमवती उर्फ हेमरती पुत्री शंकर उम्र 55 वर्ष
सभी साकिन कोयलारी तहसील घोड़ाडोंगरी
जिला बैतूल

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1 कोमल सिंग वल्द श्री झप्पू राकसे उम्र 14 वर्ष
नाबालिग मॉ भूरिया राकसे
2 भूरिया पत्नी स्व0 झप्पू राकसे उम्र 35 वर्ष
जति कतिया दोनों
सकिन कोयलारी तहसील घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल
हाल साकिन ग्राम कुसमेरी थाना शाहपूर
तहसील शाहपूर जिला बैतूल

.....अनावेदकगण

श्री ओ0 पी0 श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री यशवंत साहू, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 13 मई, 2014)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर, बैतूल द्वारा पारित आदेश दिनांक 1–11–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा नामांतरण पंजी की प्रविष्टि कमांक 200 पर पारित आदेश दिनांक 22–11–1981 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 24–11–2010 को लगभग 29 वर्ष विलंब से प्रस्तुत की गई एवं विलंब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत मय शपथ पत्र के आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील प्रकरण कमांक 6/अ–6/10–11 दर्ज किया जाकर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदकगण द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 21–9–2011 को अंतरिम आदेश पारित कर अपील सुनवाई हेतु ग्राह्य की जाकर प्रकरण तर्क हेतु नियत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर आवेदकगण द्वारा निगरानी कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर कलेक्टर द्वारा दिनांक 1–11–2012 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय का आदेश दिनांक 21–9–2011 के प्रथम आर्डर शीट पर अंकित है कि उभयपक्षों के अधिवक्ता उपस्थित । अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा शपथ पत्र की आपत्ति के समर्थन में समाधानकारक आधार प्रस्तुत नहीं किया गया । इसी आदेश पत्रिका पर उभय पक्षकार के हस्ताक्षर हैं और अनुविभागीय अधिकारी ने उभय पक्ष के समक्ष मौखिक रूप से कहा था कि सेक्शन 5 का आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है अतः अपील चलने योग्य नहीं है । उभय पक्षकार हस्ताक्षर करके चले गये लेकिन बाबू साहब ने निरन्तर लिखकर दूसरी आदेश पत्रिका में यह लिख दिया कि उभय पक्षकारों के

द्वारा प्रस्तुत तर्क एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख संशोधन पंजी के आधार पर अपील सुनवाई हेतु ग्राह्य की जाती है और अनुविभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर है । यह पूर्णतः सबंधित बाबू के द्वारा की गई कारस्तानी है ।

(2) आवेदकगण के पिता जी ने सन् 1981–82 में 14 एकड़ भूमि आवेदक एवं उसकी अपंग बहन कु0 हेमबत्ती को दी थी उस समय अनावेदक स्व0 झप्पू की आयु लगभग 5 वर्ष की थी एवं गुलाब की आयु 11 वर्ष की थी तब स्व0 शंकर ने 14 एकड़ भूमि देकर आवेदक को उसकी बहन के साथ अलग कर दिया था तब से लगातार आज तक आवेदकगण का शांतिपूर्ण आधिपत्य चला आ रहा है ।

(3) सन् 1995 में स्व0 शंकर ने अपनी जमीन में से 4–4 एकड़ जमीन स्व0 झप्पू एवं गुलाब को दे दी थी और उस समय दोनों वयस्क थे तथा 22 एकड़ जमीन अपने पास रख ली थी, जिसका आज तक बटवारा नहीं हुआ है ।

(4) स्व0 झप्पू ने बटवारे दिनांक से लेकर बालिग होने तक तथा बालिग होने के उपरांत अपने जीवनकाल में स्व0 शंकर के द्वारा 4 एकड़ जमीन देने के बाद कोई आपत्ति पेश नहीं की और न ही किसी न्यायालय में अपील पेश की ।

(5) स्व0 शंकर का स्वर्गवास 2002 में हो गया जबकि स्व0 झप्पू का स्वर्गवास 1999 में हुआ तो पिता जी के समय में स्व0 झप्पू ने कोई एतराज नहीं किया और स्व0 झप्पू के स्वर्गवास होने के उपरान्त भी अनावेदकगण ने लगभग 11–12 साल तक कोई अपील या आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है ।

(6) आवेदकगण को सन् 1981 में 14 एकड़ भूमि देकर अलग करने पर और उसका शांतिपूर्ण आधिपत्य होने के आधार पर आवेदकगण स्वमेव भूमिस्वामी हो गये हैं । इसके उपरांत भी अनुविभागीय अधिकारी एवं जिलाध्यक्ष ने धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर अपने पद का दुरूपयोग किया है ।

(7) दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने बिना किसी आधार के धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करके गंभीर भूल की है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) अनावेदकगण ने तहसीलदार द्वारा पारित अवैधानिक आदेश दिनांक 22–11–1981 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील पेश की, जिसमें धारा 5 समयावधि विधान का आवेदन पत्र पेश किया । उभयपक्ष की सुनवाई के उपरान्त समग्र दस्तावेजी साक्ष्य का सूक्ष्मतापूर्वक परिशीलन कर उन्होंने धारा 5 आवेदन स्वीकार किया है, जिसके विरूद्ध निगरानी कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की गई । कलेक्टर द्वारा विवादित आदेश पारित कर निगरानी खारिज की गई, जिसके विरूद्ध आवेदकगण ने द्वितीय निगरानी पेश की । संहिता के अंतर्गत द्वितीय निगरानी का प्रावधान न होने से प्रथम दृष्टया उक्त निगरानी विधि की दृष्टि में अप्रचलनीय एवं असंधारणीय होने से सव्यय निरस्तनीय है । विधि का सुस्थापित मान्य सिद्धांत है कि अपील अवधि बाह्य मानकर नामंजूर किया जाना विधि के उद्देश्य के विरूद्ध है, उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिये ।

(2) आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्क के चरण कमांक 2 में अनुविभागीय अधिकारी पर आक्षेप कपोलकल्पित असत्य असंगत, अनर्गल आधारहीन होने से विशेषतः इंकार है । अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश पूर्णतः विधिसम्मत एवं न्यायसंगत होने से स्थिर रखकर निगरानी सव्यय निरस्तनीय है ।

(3) दूषित दूराशयपूर्वक आवेदकगण ने 14 एकड़ भूमि स्वंय रख ली तथा कोमलसिंह के अवयस्क पिता झप्पू (5 वर्ष) को मात्र 4 एकड़ भूमि दी तथा छलकपटपूर्वक कथित संशोधन पंजी पर अवैध मनमाना नामांतरण एवं बटवारा आदेश करवा लिया जबकि वैधानिक दृष्टि से संशोधन पंजी पर नामांतरण एवं बटवारा असमान कदापि नहीं किया जा सकता है। कथित संशोधन पंजी प्रथम दृष्टया शून्य, अवैध, प्रभावहीन है और ऐसे अवैध नामांतरण आदेश को किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है, जिसमें परिसीमा की कोई अवधि विहित नहीं है । विलंबित आवेदन का प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिये ।

(4) आवेदकगण ने लालची प्रवृति के वशीभूत होकर अनावेदक के पिता के अवयस्क अनपढ ग्रामीण होने का साशय लाभ उठाकर प्रश्नाधीन भूमि हडपने के दूषित दूराशय से 22 एकड़ भूमि अपने पास रख ली मात्र 4 एकड़ भूमि अनावेदक के पिता को अवैध संशोधन पंजी पर अवैधानिक तरीके से छल कपटपूर्वक अवैध नामांतरण एवं बटवारा आदेश पारित करवा कर दी है, जबकि पैतृक सम्पत्ति मे वैधानिक दृष्टि से समान बंटवारा नामांतरण होना चाहिये ।

(5) वैधानिक दृष्टि से राजस्व न्यायालय का यह परम कर्तव्य है कि जब कोई अवैध आदेश उनकी जानकारी में आता है तो उसे यथा समय निरस्त किया जा सकता है, जिसमें आपत्ति या अपील किया जाना भी आवश्यक नहीं है ।

(6) अनावेदक अवयस्क अनपढ़ होने से तथा उसे कानूनी जानकारी न होने से कि वह सदभावनापूर्वक अपील कर सकता है, अनावेदक को वैधानिक दृष्टि से पैतृक भूमि से उसके हक से कदापि वंचित नहीं किया जा सकता है । अनावेदक को जैसे ही अवैध संशोधन पंजी आदेश की जानकारी मिली अविलंब सदभावनापूर्वक अपील पेश की इस कारण उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए विलंब क्षमा किया जाना नितांत आवश्यक है ।

(7) प्रश्नाधीन भूमि अनावेदकगण की पैतृक भूमि है, जिस पर वे समान बटवारा भूमि प्राप्ति के पात्र है, इस कारण भी कथित अवैध संशोधन पंजी नामांतरण बटवारा आदेश को निरस्त किया जाना अत्यंत आवश्यक है ।

तर्क के समर्थन में 2010 राजस्व निर्णय 215 एवं 2008 राजस्व निर्णय 108 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । नामांतरण पंजी की प्रविष्टि कमांक 200 के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा नामांतरण पंजी पर बंटवारा आदेश पारित किया गया है, जबकि संहिता की धारा 178 के अंतर्गत नामांतरण पंजी पर बंटवारा आदेश पारित नहीं किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त नामांतरण पंजी में उदघोषणा जारी किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है और न ही हितबद्ध पक्षकारों को सूचना दिये जाने का उल्लेख है । तहसील न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों का असमान बंटवारा किया गया है जो भी संहिता की धारा 178 के प्रावधान के विपरीत है । स्पष्टतः तहसीलदार द्वारा पारित आदेश पूर्णतः अवैधानिक होकर क्षेत्राधिकार रहित आदेश है और पूर्णतः अवैधानिक एवं क्षेत्राधिकार रहित आदेश पर समय सीमा का बंधन लागू नहीं होता है । कलेक्टर द्वारा निकाला गया निष्कर्ष अपने स्थान पर विधिक एवं न्यायिक है कि प्रश्नाधीन भूमियों में अनावेदकगण का अधिकार निहित है और आवेदकगण द्वारा अनावेदकगण के अधिकार से इंकार नहीं किया गया है । अतः संशोधन पंजी की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार अनावेदकगण को था, जिससे उन्हें वंचित रखकर विभाजन की कार्यवाही की गई है, इसलिये जानकारी मिलने पर

अनावेदकगण का अपील का अधिकार सुरक्षित है । विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी व्यक्ति के हक को समय सीमा जैसे तकनीकी बिन्दु के आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता है और प्रश्नाधीन भूमियों में अनावेदकगण का हित निहित है, इस दृष्टि से भी अनुविभागीय अधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा पारित आदेश उचित आदेश होने से स्थिर रखे जाने योग्य है । आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाया गया यह आधार उचित नहीं है कि प्रकरण में संबंधित बाबू द्वारा गलत आदेश लिखा गया है, क्योंकि उक्त आदेशिका में अनुविभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर होने से अनुविभागीय अधिकारी का ही आदेश होना मान्य किया जायेगा । प्रश्नाधीन भूमि पर 34 वर्षो से आवेदकगण का कब्जा होने के आधार पर नामांतरण पंजी पर पारित पूर्णतः अवैधानिक आदेश की पुष्टि करना न्यायोचित नहीं है । अतः इस संबंध में भी लिखित तर्क में उठाया गया आधार अमान्य किये जाने योग्य है । दर्शित परिस्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं न्यायिक होने से उसकी पुष्टि करने में कलेक्टर द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, बैतूल द्वारा पारित आदेश दिनांक 1–11–2012 विधिसंगत एवं औचित्यपूर्ण होने से स्थिर रखा जाता हैं। निगरानी निरस्त की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर